Association of Reventa Members (Regd.)
Bulletin #5 || 20-Sep-2023

UPDATES ON K1 ZONE LAND ATTACHMENT STAY CASE

Respected Members,

- 1. It is to inform you that the *K1 Zone land attachment Stay case is listed in the Delhi High Court for hearing on 25 Sep 23.* Court Number, Case Number and item Number will be available by 22 Sep 23 (Friday evening).
- 2. The fee for this case was fixed at Rs. 90,000 + 15000 as filing charges.
- *3. ARM has already paid Rs. 50,000 to the advocate and there is an urgent need to pay the balance amount.*
- 4. Therefore the total fee of Rs 90000/- plus 15000 filing charges has to be paid by Mr. D Narsimha Rao, who has Rs. 8,84,836/- (Rupees eight lakh eighty four thousand eight hundred) of member's contribution in a bank account under his control; which was transferred by Capt Mahendra Singh on 16 Mar 2023.
- *5. Mr D Narsimha Rao has already been requested several times to issue a cheque in favour of ASSOCIATION OF REVENTA MEMBERS, however he has not yet transferred the amount till date and said that he will do whatever Mr Kohli will advise him.*
- 6. An urgent call to recover the fund is required by the members.

Dr. Parneeta Joon Gen. Secretary

एसोसिएशन ऑफ रेवेंता मेंबर्स (पंजीकृत) बुलेटिन :5 द्यद्य दिनांक 20—सितंबर—2023

11 जोन लैण्ड अटैचमेण्ट स्टे केस का अपडेट'

आदरणीय सदस्यगण,

- 1. आपको सूचित किया जाता है कि 'ज्ञ1 जोन भूमि कुर्की स्टे मामला 25 सितंबर 23 को सुनवाई के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में लिस्टेड है।' कोर्ट नंबर, केस नंबर और आइटम नंबर 22 सितंबर 23 (शुक्रवार शाम) तक उपलब्ध होंगे।.
- 2. इस केस की फीस 90,000 रुपये तथा फाइलिंग चार्ज 15000 रुपये तय किए गए थे।
- 3. एआरएम पहले ही 50,000 रुपये का भुगतान कर चुका है। अब वकील को शेष राशि का भुगतान करने की तत्काल आवश्यकता है।
- 4. इसलिए कुल भुगतान 90000 + 15000 रुपये श्री डी नरसिम्हा राव को देना होगा, जिनके पास सदस्य के कन्ट्रीब्यूशन के 8,84,836 रुपये (आठ लाख चौरासी हजार आठ सौ रुपये) उसके कण्ट्रोल वाले बैंक खाते में हैं, जिसे कैप्टन महेंद्र सिंह ने 16 मार्च 2023 को ट्रान्स्फ्र कर दिया था।
- 5. बताया जाता है कि श्री डी नरिसम्हा राव से पहले भी कई बार एसोसिएशन ऑफ रेवेंता मेंबर्स के पक्ष में चेक जारी करने का अनुरोध किया जा चुका है, हालांकि उन्होंने अभी तक राशि हस्तांतरित नहीं की है और कहा है कि श्री कोहली उन्हें जो भी सलाह देंगे, वह वही करेंगे।'
- 6. सदस्यों द्वारा इस फंड के ट्रान्स्फ्र के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

डॉ परनीता जून, जनरल सेक्रेटरी